

सौ. डी. फार्म

40 पैसे की कोर्ट फीस स्टाम्प और प्रतिलिपि लागत की कोर्ट स्टाम्प
डाक कर प्रभार सहित

अति आवश्यक

या

साधारण

कोर्ट फीस

आवेदक का अनुरोध है कि विवरणी संख्या-1 में विवरित प्रतिलिपियाँ प्रदान की जाये

विवरणी संख्या

1. मामले की श्रेणी सिविल,
फौजदारी या राजस्व या
विविध (मूल या अपील)
2. पक्षकार
वादी प्रतिवादी अभियुक्त
के बनाम
3. प्रतिवादी/अभियुक्त
नाम
4. पाद के मूल्यांकन सहित मामले का स्वरूप या
अपराध का विवरण जैसे भी स्थिति
5. हदबस्त संख्या सहित ग्राम व स्थान का नाम
जहां पर वादग्रस्त सम्पत्ति है या जहां विवाद
उत्पन्न या अपराध किया गया हो।
6. अधीनस्थ और अपीलीय न्यायालय के पीठासीन
अधिकारी का नाम, यदि कोई हो।
7. प्रथम और अपीलीय न्यायालय के निर्णय की
तारीख
8. प्रमोजन के लिए प्रतिलिपि आपेक्षित है।
9. आपेक्षित प्रतिलिपि का विवरण
10. आवेदक की मोहर या हस्ताक्षर

विवरणी संख्या-॥ आवेदक का पूरा पता

1. स्पष्ट रूप में नाम लिखा जाना
2. माता पिता/पति - पत्नी का नाम व पता
3. व्यवसाय
4. ज़िला
5. तहसील व थाना
6. पता:- ग्राम और डाकखाने का नाम

विवरण - III

1. क्या प्रतिलिपि की सुपुर्दगी व्यक्तिगत रूप में या रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा की जायेगी।

टिप्पणी :- (क) नियम 12 के अधीन आवेदन पत्र पर चालीस पैसे के मूल्य का कोर्ट फीस स्टाम्प पांच रु. की अग्रिम कोर्ट फीस के साथ लगाये जाये, किन्तु आवेदक अपने विकल्प पर प्रतिलिपि की लागत भी लगायेगा।

(ख) यदि प्रतिलिपि डाक द्वारा आपेक्षित हो तो, डाक दर के अनुसार अतिरिक्त फीस प्रभावित स्टाम्प उद्घात होगी।

(ग) यदि वी. पी. पी. द्वारा आपेक्षित हो तो डाक दर के अनुसार अतिरिक्त फीस प्रभावित की जायेगी।

2. इस आवेदन के साथ लगाई गई 40 पैसे की कोर्ट फीस स्टाम्प को सम्मिलित करते हुए कोर्ट स्टाम्प का मूल्य क्या है ?

3. यदि आवेदन व्यक्तिगत रूप से सुपुर्द किया जाता है, तो पावती प्रारूप सीडी 10 में दी जाएगी। यदि आवेदन के साथ इस प्रयोजन के लिए अतिरिक्त कोर्ट स्टाम्प लगाई हो।

प्रतिलिपि पर्यवेक्षक

आवेदन स्वीकृत

तारीख/.....

प्रतिलिपि पर्यवेक्षक

प्रतिलिपि प्रदान की जाये

तारीख

2 रुपये की अन्वेषण फीस

उद्घात की जाये।

प्रतिलिपि पर्यवेक्षक

प्रतिलिपियां प्राप्त की।